न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
रा.प्रा.पत्र संख्या 164/2023

प्रार्थी :–
1–रामनारायण पुत्र आशाराम विश्नोई,निवासी रोहिसडा सथारन
जिला श्री गंगानगर हाल निवासी बाडीघाटी तहसील रियांबड़ी

अप्रार्थीगण :–
1–निलम शेखावत पत्नी श्री नारायणसिंह राठौड जाति राजपूत
निवी श्याम कॉलोनी राणा अस्पताल के पास वैशाली नगर अजमेर जिला अजमेर।
2–पुष्पाकंवर पत्नी शम्भूसिंह राठौड जाति राजपूत
निवासी श्याम कॉलोनी राणा अस्पताल के पास वैशाली नगर अजमेरजिला अजमेर।
3–शांतिलाल जैन पुत्र फतेहराज डूंगरवाल जाति जैन निवासी थांवला तहसील रियांबड़ी जिला नागौर।
4–तहसीलदार रियांबड़ी
5– पटवारी हल्का बाडीघाटी तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

वकील प्रार्थी :– श्री अर्जुनपुरी गौस्वामी
वकील अप्रार्थी संख्या –1 व 2

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय

दिनांक :–09/4/24

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन करता है कि :–

वकील प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र व वाद अनवान सदर का पेश किया गया। जो बहुत ही मजबूत बिनाय पर है जिसमें कामयाबी मिलने की पूरी पूरी आशा है। मौजा बाडीघाटी के खसरा नंबर 51 रकबा 3.1800 हैक्टर भूमि प्रार्थी व अप्रार्थीग्ण संख्या 1 से 3 क संयुक्त खातेदारी की काश्त व काबिज है। उक्त खसरा की भूमि वादग्रस्त आराजी से सम्बोधित की जायेगी। उक्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खरीदसुदा,खातेदारी की काश्त कब्जासुदा है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की स्वअर्जित भूमि है।

वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का 7105/13716 अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रत्येक का 89/381–89/381 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 3 का 203/13716 हिस्सा है मौके पर पक्षकरान के मध्य सहूलियत से बंटवारा किया हुआ है। अलग अलग काश्त व कब्जा है। मगर वादग्रस्त खसरा की खातेदारी में प्रार्थी व अप्रार्थीगण का संयुक्त रू‍प से नाम दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 का अभी बंटवारा नहीं हुआ है।

यह है कि विवादित खसरा की खातेदारी संयुक्त रू‍प से दर्ज होने से अप्रार्थीगण की नियम में फर्क आ गया है और अप्रार्थीगण बदनियति से अन्य लोगो से मिलावट करके बिना बंटवारा करवाये ही वादग्रस्त खसरा के विशेष भू भाग का बेचान व हस्तांतरण करने पर आमादा है। प्रार्थी को वादग्रस्त खसरा से बेदखल करना चाहते है। काश्त नहीं कर रहे है। यदि अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीनीय क्षति होगी।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में बहुत ही मजबूत है। वादग्रस्त खसरान की भूमि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुद है। सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अगर अप्रार्थीगण अपने नापाक इरादो में सफल हो गये तो प्रार्थी को अपूर्णीनीय क्षति होगी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से ाबंद किया जावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिय नोटिस के जबाब तू तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील घनश्याम खालिया ने जबाब पेश किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपने जबाब में बताया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने भूमि कयसुदा है यह सही है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के काश्त काबिज है। अप्रार्थीग्ण

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

; आंवले के पौधे लगाये हुए है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा खरीद की गई भूमि में चाह नंबर को रीद नही किए जाने स आंवलो की फसल को पानी नही दिया जा सकता इसलिए अप्रार्थी संख्या व 2 को आंवलो की सिचाई हेतू विद्युत कनेक्शन की सख्त आवश्यकता है। मौके पर आंवले की सल सिंचाई के अभाव में नष्ट हो रहे हैइस कारण अप्रार्थीगण ने विद्युत कनेक्शन हेतू एक प्रार्थना त्र विद्युत वितरण निगम लिमिटैड द्वारा यह कहते हुए डिमाण्ड जमा करने से मना कर दिया कि परोक्त प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। ऐसी स्थित में प्रकरण में माननीय न्यायालय ारा एक पक्षीय जारी स्थगन आदेश को निरस्त किया जाना अनिवार्य है। अप्रार्थीगणो के द्वारा भूमि ा बेचान नहीं किया जा रहा है। ना ही सिकी तरीके से अप्रार्थीगण की भूमि में प्रार्थी की भूमि को लाया जा रहा है। बल्कि अप्रार्थीगण अपनी खरीदसुदा स्वामित्व की भूमि पर काबिज होकर काश्त रते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी पर स्थगन होने से अप्रार्थीगण को विद्युत कनेक्शन नही हो ा रहा है।

अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जबाब ; आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। वकीलप्रार्थी ने अपनी बहस में बतया गया कि ादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी की काश्त व कब्जासुदा है। ो खरीदसुदा है। जिस पर अपने अपने हिस्से पर काश्त काबिज चले आ रहे है। सहूलियत से टवारा भी किया हुआ है। विधिवत बंटवारा किया हुआ नही है। अप्रार्थीगण खातेदारी की आड़ में ादग्रस्त आराजी के विशेष भू भाग को बेचान करने पर आमादा हैऔर प्रार्थी को उसके हिस्से ाश्त व कब्जे से बेदखल करने पर आमादा है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया ावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में बताया गया कि वादग्रस्तआराजी प्रार्थी व प्रार्थी संख्या 1 से 3 की खरीदसुदा है। जिस पर काश्त व काबिज चले आ रहे है। अप्राथीगण ंख्या 1 व 2 के अपने हिस्से पर मौके पर आंवला के पेड़ उगा रखे है। अप्रार्थीगण के चाह नंबर ब्रीद नहींकिये जाने पर प्रार्थी पानी नहीं दे रहे है। अप्रार्थी को आंवलो की फसल को पानी देने के लिए विद्युत कनेक्शन लेने की सख्त आवश्कयता है। लेकिन प्रार्थी ने एक पक्षीय स्थगन प्राप्त र लिया गया जिससे विद्युत कनेक्शन नहीं लिया जा रहा है। जबकि विद्युत का डिमाण्ड जमा रवाया जा चूका है।आंवलो की फसल बर्बाद हो रही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज रमाया जावें।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का वलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी ंख्या 1 से 3 की खरीदसुदा है। जिसका बंटवारा किया हुआ नहीं है। प्रार्थी ने एक पक्षीय स्थगन ाप्त कर लेने से अप्रार्थी संख्या संख्या 1 व 2 की आंवले की फसल सूख रही है क्योंकि अप्रार्थी ंख्या 1 व 2 ने सिंचाई हेतू विद्युत कनेक्शन लेने के लिए आवेदन किया हुआ है। अप्रार्थी संख्या 1 2 को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी ी है। जिसका विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। मगर अपने अपने हिस्से पर काश्त काबिज है। प्रार्थी ो अपने हिस्से तक स्थगन प्राप्त किया जाना चाहिए। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के हिस्से र स्थगन प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। चूकि वादग्रस्त आराजी कयसुदा है न कि पैतृक है।

प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में उसके हिस्से तक ही उसके पक्ष में मजबूत है लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के विरूध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने लेने से अप्रार्थीगण के हितो पर कुठााराघात हुआ है और अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 को अपूर्णीनीय हानि हो रही है। क्योंकि उनका काश्त कब्जा में प्रार्थी द्वारा स्थगन प्राप्त किया गया है जबकि प्रार्थी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम का खारिज किया जाता है। तथा पूर्व में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 27.10.2023 को अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 9/4/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला नागौर